न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाहनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

पत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

रण संख्याः- 450/2023

करण सिंह पुत्र जगराम सिंह जाति यादव निवासी मकान 113, जी ब्लॉक, उदयभवन, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर

-:वादी

बनाम्

1 जितेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35 नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

2 विजेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35, नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

3 भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35, नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

4 जसवीर सिंह पुत्र स्व. भूप सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

5 सतवीर सिंह पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाडी (हरियाणा)

6 कृष्ण कुमार पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

7 मुकेश कुमार पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

8 राधेश्याम पुत्र बद्रीचंद जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

9 सुखपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता - वादी

2 एकपक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 1 ता 9

-:<u>निर्णय</u>:-

दिनांक 13.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी व प्रतिवादीगण के स्थाई निवास स्थान व पत्र व्यवहार का पता वादपत्र के शीर्षक पर अंकितानुसार ही है।

यह कि वादी के नाम एकल खाता की कृर्षि भूमि चक 13 एम.एम.के. खाता संख्या 67/61 प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर कुल तादादी 2.024 हैक्टयर कमाण्ड दर्ज खातेदारी है। नकल जमाबंदी चक 13 एम.एम.के, खाता संख्या 67/61 सम्वत 2075 से 2078 हमराह पेश है।

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

यह कि वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा 4 ता 7 के दादा स्व शिवदयाल, बहादर सिंह व स्व. चन्द्र सिंह, स्व. भगवान सिंह व स्व. भयराम सिंह व श्री स्व. अभय सिंह जरिये मुखत्यार आम धर्म सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह से जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक -07-1981 से मुझ वादी ने खरीद की हुई हैं। खरीद के रोज से ही मुझ वादी का कब्जा स्त है।

बैयनामा दिनांक 13-07-1981 से ही रिकोर्डेड खातेदार वादी ही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड अभी भी प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम भी बोल रहा हैं तथा 8 व 9 का हिस्सा चकबन्दी के दान अन्य चक में चला गया परन्तु अभी भी उनका नाम इस चक में बोल रहा हैं जिससे वादी हकों पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा भूमि वादी के नाम के साथ प्रतिवादी नं. 1 ता 9 का म भी राजस्व रिकार्ड मे होने से वादी बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने से चित हो रहा है अतः वादी इस अमर की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 13 एम. म.के. खाता संख्या 67/61 प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0. 53 हैक्टेयर कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर कमाण्ड का वादी खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी . 1 ता 9 का नाम कलमजन किया जावें।

यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादपत्र की चरण संख्या 3 मे र्णितानुसार भूमि का वादी को खातेदार घोषित करवा देने का कहा, पहले तो टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम रोड़ावाली में स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र श्री मानन्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का हैं जो दो रूपये की पूर्णकोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे-

क- कि चक 13 एम.एम.के. खाता संख्या 67/61 प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर कुल तादादी 2.024 हैक्टयर कमाण्ड भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 नाम कलमजन किया जावें।

ख- कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलवाना उचित समझे, दिलवाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की तलबी जरिये समाचार पत्र करवाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 तलबी उपरांत भी हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी द्वार प्रश्नगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रयशुदा भूमि है इसलिए वाद पत्र मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार हनमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2026/204 दिनांक 20.01. 2026 द्वारा अवगत करवाया गया है कि चक 13 एम.एम.के. प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर कुल तादादी 2.024 हैक्टयर कमाण्ड भूमि खातेदार कर्णसिंह पुत्र जगराज सिंह द्वारा हिस्सा ठेका पर गोपीराम पुत्र दुलाराम से काश्त करवाई जा रही है। मुताबिक जमाबंदी चक 13 एमएमके खाता सं. 67 में कर्णसिंह पुत्र जगराज, जितेन्द्रसिंह-भूपेन्द्रसिंह-विजेन्द्रसिंह पुत्रगण मेहरासिंह, रघुबक्श पुत्र चोखाराम, राधेश्याम पुत्र बद्रीप्रसाद, सुखपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम सह खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी उक्त रकबा पर कोई स्थगन आदि नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस वादीपक्ष पर मनन किया गया। वादी पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व

सीलदार हनुमानगढ की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना त प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 13 एम.एम.के. ता संख्या 67/61 प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0.253 क्टयर कुल तादादी 2.024 हैक्टयर कमाण्ड भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया ता है व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ता 9 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे। पर्चा क्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त ादेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

(7)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

[illegible]सीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

[illegible]ण संख्याः- 450/2023

करण सिंह पुत्र जगराम सिंह जाति यादव निवासी मकान 113, जी ब्लॉक, उदयभवन, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर

-ःवादी

बनाम्

1 जितेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35 नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

2 विजेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35, नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

3 भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति यादव निवासी मकान 35, नजदीक नरेन्द्र भवन, गांधीनगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

4 जसवीर सिंह पुत्र स्व. भूप सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

5 सतवीर सिंह पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाडी (हरियाणा)

6 कृष्ण कुमार पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

7 मुकेश कुमार पुत्र स्व. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. रघुवंश जाति यादव निवासी मीरपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

8 राधेश्याम पुत्र बद्रीचंद जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

9 सुखपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ

-ःप्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार बिश्नोई वकील वादी मिन जामिन मुदई राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 13 एम.एम.के. खाता संख्या 67/61 प.न. 117/206 मु.न. 45 कि.न. 3 ता 8, 13, 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर कुल तादादी 2.024 हैक्टयर कमाण्ड भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ता 9 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि)

र यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अंग रहे।

XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2026 को जाकिया गया। डिक्रीत आराजी रहन हो, तो बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ